



प्रेस नोट  
थाना बालैनी

दिनांक 24-09-2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक कैण्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामदा

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक कैण्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- वेदप्रकाश पुत्र पोला राम निवासी ग्राम चक्क हरीपुरा थाना शेरगढ जनपद हनुमान गढ़ ( राजस्थान) ।
- 2- दीपक पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 3- पीतम पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 4- मोहित पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।

5- जनक सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।

6- अरविन्द पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक कैण्टर नम्बर- RJ-13GB-5300
- क्रूरतापर्वक भरे हुए 18 पशु ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री बृजेश पौनिया थाना बालैनी ।
- 2- है0का0 71 लक्ष्मीनारायण थाना बालैनी ।
- 3- हो0गा0 736 किशनचन्द थाना बालैनी ।
- 4- पीआरडी 012 सत्यपाल थाना बालैनी ।



प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनांक 24-09-2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 226/2022 धारा 498ए/306 भादवि में  
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 226/22 धारा 498ए/306 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-तनसीर उर्फ तनवीर पुत्र स्व0 अली मौहम्मद निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि श्री नन्द किशोर थाना दोघट ।
- 2-है0का0 112 तेजवीर सिंह थाना दोघट ।



**प्रेस नोट  
थाना दोघट**

**दिनांक 24-09-2022**

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 247/22 धारा 386/507 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 17.09.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री पवन कुमार पुत्र कपूरचन्द गुप्ता निवासी करबा व थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विककी उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासी गांगनौली थाना दोघट द्वारा फोन पर उससे 50000 रूपये मांगे तथा न देने पर



गोली मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 247/22 धारा 385/507 भादवि पंजीकृत किया गया तथा साक्ष्य के आधार पर धारा 385 भादवि को धारा 386 भादवि में परिवर्तित किया गया।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 247/22 धारा 386/507 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके

कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विक्की उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपता।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन (सैमसंग की-पैड)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना दोघट।

2-है0का0 300 रामबीर सिंह थाना दोघट।



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 24-09-2022

थाना खेकडा पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,  
जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरे व अन्य उपकरण बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करोँ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरे, 01 तराजू, 02 बांट, 01 बुगदा (दाव), 01 द्रांत, 01 लकडी का गुटका आदि बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-इमरान पुत्र स्व0 असगर निवासी कंडेला थाना कैराना जनपद शामली ।

हाल पता ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2. युनुस पुत्र स्व0 सिद्धे निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 01 तराजू व 02 बांट ।
- 01 बुगदा (दाव) ।
- 01 द्रांत ।
- 01 लकडी का गुटका ।
- 02 अवैध छुरा ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कैलाशचन्द ।
- 2- उप0नि0 सुभाष शर्मा ।
- 3-है0का0 12 सत्यवीर सिंह ।
- 4.-है0का0 209 मनोज कुमार ।
- 5-का0 1049 वीकेश कुमार ।
- 6- का0 455 विजय सैनी ।
- 7- का0 164 नितिन कुमार ।
- 8- का0 956 राजदीप सिंह ।
- 9- म0का0 317 प्रवीन ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 600/21 धारा 420/467/468/471  
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 600/21 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रवि पुत्र चमन सिंह निवासी शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 919/22 धारा 323/504/506/313 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि दिनांक 21.09.2022 को अभियुक्तगण 1.धर्मदास पुत्र चतरू, 2.कमल पुत्र धर्मदास व 3.एक महिला निवासीगण ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत ने उसके साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 919/22 धारा 323/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।



उपरोक्त मुकदमें में विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 313 भादवि की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 919/22 धारा 323/504/506/313 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-धर्मदास पुत्र चतरू निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-कमल पुत्र धर्मदास निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।



**प्रेस नोट**  
**थाना बडौत**

**दिनांक- 24.09.22**

**थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 922/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 सुपर स्प्लेण्डर बरामद ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 23.09.22 को थाना बडौत पर वादी श्री जयशंकर वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल वर्मा निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 22.09.2022 को उसकी मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर नं0 UP17N2395 उसके घर के बाहर खड़ी थी, जिसको अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 922/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 922/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर नं० UP-17N-2395 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सन्दीप पुत्र प्रमोद निवासी खत्री गढी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक मो०सा० सुपर स्प्लेण्डर नं० UP-17N-2395

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री अरविन्द कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- का० 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- हो०गा० 269 सतीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 219/21 धारा  
420/467/468/471/120बी भादवि व 9/11 बाल विवाह अधिनियम में वांछित एक  
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 219/21 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 9/11 बाल विवाह अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आसमौहम्मद उर्फ आशु पुत्र वशीर निवासी ग्राम सिखैड़ा थाना चांदीनगर जनपद बागपता

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 जनार्दन प्रसाद ।

2. का0 745 गुलवीर सिंह ।



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 24-09-2022

थाना खेकडा पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे एक गाडी आयशर कैंटर न0 HR-66B-2614 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-कुलदीप पुत्र पालाराम निवासी डाबावाला थाना डाबावाला जनपद सिरसा हरियाणा ।
- 2-इमरान पुत्र असगर निवासी गणेशपुरी साहिबाबाद थाना साहिबाबाद जनरपद गाजियाबाद ।

## बरामदगी का विवरण-

- आयशर कैन्टर न० HR-66B-2614
- क्रूरतापर्वक भरे हुए 12 पशु ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री प्रदीप सिंह ।
- 2- है०का० 168 दिलशाद खान ।
- 3- का० 590 रवि कुमार ।